

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 623/10

संस्थापन दिनांक:-20/12/10

फाईलिंग नं. 233504000152010

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

**वि रु द्ध**

अशोक पिता दीनदयाल पवार,  
 उम्र 25 वर्ष, निवासी अंधारिया,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 26.09.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304(ए), 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.09.2010 को रात 09:30 बजे आमला पंखा रोड पर रेल्वे पुलिया के आगे ग्राम ससाबड़ थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बस क. एमपी-48-पी-0170 का चालक हुए उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर नंदू उर्फ नंदकिशोर की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर मोटर सायकिल के पीछे बैठे जितेंद्र को गंभीर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2010 को अस्पताल चौकी बैतूल में मर्ग क. 0134/10 धारा 147 जा.फौ. इस आशय का दर्ज किया गया कि दिनांक 13.09.2010 के रात्रि 01:15 बजे नंदू पिता मूलचंद को एक्सीडेंट से चोट लगने के कारण भरती किया गया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त मर्ग को थाना आमला में मर्ग क. 65/10 धारा 174 जा.फौ. में दर्ज कर जांच में लिया गया। जांच पर साक्षी सुरेश, गोविंद, चश्मदीद साक्षी जितेंद्र के कथन एवं संपूर्ण मर्ग जांच पर पाया कि कोष्ठी बस क. एमपी-48-पी-0170 के चालक अशोक द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटर सायकिल चालक नंदू उर्फ नंदकिशोर को टक्कर मारी जिससे नंदू उर्फ नंदकिशोर की मृत्यु हुई एवं

मोटर सायकिल के पीछे बैठे जितेंद्र को दांहिने पैर में गंभीर चोट आयी। तत्पश्चात थाना आमला में बस क्र. एमपी-48-पी-0170 के चालक अशोक के विरुद्ध अपराध क्र. 344/10 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304-ए भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। वाहन मालिक प्रहलाद सोनकुसरे से मिनी बस क्र. एमपी-48-पी-0170 को मय रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट की छायाप्रति के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर बस क्र. एमपी-48-पी-0170 का चालक होते हुए उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर नंदू उर्फ नंदकिशोर की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर मोटर सायकिल के पीछे बैठे जितेंद्र को गंभीर उपहति कारित की ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष**

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का

निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 जितेंद्रसिंह (अ.सा.-1) का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल याम्हा क्वश से अपने दोस्त/मृतक नंदू के साथ बैतूल से वापस बोड़खी आ रहा था, तभी उनकी मोटर सायकिल को एक बस ने टक्कर मार दी थी जिससे दोनों को चोटें आयी। नंदू के पूरे शरीर में चोटें आयी थी और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोट आयी थी। दाहिना पैरा तीन जगह से टूट गया था। ईलाज के दौरान नंदू की मृत्यु हो गयी थी। प्रमिलाबाई (अ.सा.-2) एवं गीता पंद्राल (अ.सा.-3) का कहना है कि उन्हें गाड़ी वालो ने घर आकर यह बताया था कि तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। जब वह मौके पर पहुंची तब उसका लड़का जितेंद्र एवं नंदू घायल अवस्था में पड़े थे। उसके लड़के जितेंद्र की पैर की हड्डी टूट गयी थी। विनय (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे फोन पर सूचना मिली थी कि जितेंद्र और नंदू का एक्सीडेंट हो गया है। अशोक सिंह (अ.सा.-11) ने यह बताया है कि उसे गुड्डू सोनी ने बताया था कि कमानी गेट के सामने एक्सीडेंट हो गया है। जब वह पहुंचा तो दो व्यक्ति पड़े थे। बाद में खबर मिली थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गयी है।

7 डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.-6) ने दिनांक 13.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत जितेंद्र का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत के दाहिने पैर की दोनों हड्डियां अस्थिभंग एवं दाहिने पैर पर 2 गुणा 2 गुणा 2 सेमी. आकार का एक फटा छेद पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोटें सख्त एवं बोथरी वस्तु से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) का प्रमाणित किया है।

8 डॉ. अरविंद भट्ट (अ.सा.-5) ने दिनांक 13.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मृतक नंदू उर्फ नंदकिशोर के शव का परीक्षण किया जाना प्रकट करते हुए मृतक के बाह्य परीक्षण में शरीर पर अकड़न, आंखे बंद, मुंह खुला, दांत खुले, जीभ अंदर पूरे शरीर पर रक्त जमा था तथा मृतक के शरीर में पट्टियां बंधी, बांयी भौ, सिर, बांयी आख, दाहिने कंधे, सीने, पेट, दाहिने कंधे, भुजा, कलाई, जांघ घुटने पैर में चोटें पायी थी तथा आंतरिक परीक्षण के दौरान कपाल, मेरुदंड नरम हिस्से लाल एवं झिल्लियों में तरल पदार्थ, वक्ष नरम हिस्से रक्तहीनता की स्थिति में, फेफड़ों एवं हृदय की झिल्लियों में तरल पदार्थ एवं हृदय के सारे कक्ष खाली तथा खून की बड़ी वाहिका पिचकी पायी थी। साक्षी ने मृतक को आयी सारी चोटें मृत्यु पूर्व की होना एवं किसी सख्त और बोथरी वस्तु से आना संभावित होना प्रकट करते हुए उसके दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) को प्रमाणित किया है।

9 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-4) ने दिनांक 13.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक

को आहत जितेंद्र का दांयी पिंढली का एक्सरे किया जाना जिसका प्लेट क्र. 5645 में दांयी टिबिया और फिबुला हड्डी टूटी होना प्रकट करते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-3) को प्रमाणित किया है।

10 उपर्युक्त साक्षीगण एवं साक्षी जितेंद्र (अ.सा.-1), प्रमिलाबाई (अ.सा.-2) एवं गीता पंद्राल (अ.सा.-3) तथा विनय (अ.सा.-7) के कथनों से मृतक नंदू की मृत्यु होना एवं आहत जितेंद्र को दुर्घटना में गंभीर उपहति कारित होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

11 बसंत मिरासे (अ.सा.-13) ने दिनांक 14.09.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को ओपी बोड़खी से देहाती मार्ग क्र. 134/10 असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर असल मार्ग इंटीमेशन क्र. 65/10 प्रदर्श पी-16 लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

12 उमेश (अ.सा.-9) ने अपने न्यायालय परीक्षण में प्रकट किया है कि उसे नंदू उर्फ नंदकिशोर की मृत्यु जांच के संबंध में प्रदर्श पी-14 का नोटिस प्राप्त होना तथा उसके समक्ष मृतक का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-15 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

13 राजू साहू (अ.सा.-12) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसकी राज इंजीनियरिंग वर्कशाप के नाम से दुकान है उसने दिनांक 30.12.2010 को वाहन क्र. एमपी-48-पी-0170 का परीक्षण किया था। परीक्षण पर वाहन के ब्रेक, क्लच, टायराइड, स्टैरिंग, लाईट, हार्न सभी ठीक हालत में पाये थे। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी वाहन परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-16) को प्रमाणित किया है।

14 एच.आर. यादव (अ.सा.-8) ने दिनांक 14.09.2010 को चौकी बोड़खी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मार्ग क्र. 65/10 की डायरी प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-10) एवं दिनांक 22.10.2010 को अपराध क्र. 37/10 धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. में प्रदर्श पी-11 की कायमी किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे असल अपराध क्र. 344/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल का पंचनामा (प्रदर्श पी-1) तथा दिनांक 30.12.2010 को प्रहलाद के पेश करने पर मिनी बस एमपी-48-पी-0170 जप्त कर (प्रदर्श पी-12) का जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-13) तैयार किया किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

15 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अन्य अभियोजन साक्षी आहतगण के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी है तथा वे चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में

अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

16 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में अशोक सिंह (अ.सा.-11) यह बताया है कि उसके सामने घटना नहीं हुई थी। वह सूचना मिलने पर कमानी गेट पहुंचा तब देखा कि दो व्यक्ति पड़े हुए थे। सुरेंद्र (अ.सा.-10) ने यह बताया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कमानीपुर के पास एक्सीडेंट हुआ था भीड़ लगी हुई थी वहीं पर उसने पुलिस के कहने पर नक्शा मौका (प्रदर्श पी-10) पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। विनय (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे फोन पर सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया है। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में भी उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि घटना उनके समक्ष नहीं हुई थी। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

17 प्रमिलाबाई (अ.सा.-2) एवं गीता पंद्राल (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर थी। उसे जानकारी हुई कि उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनकर वह मौके पर पहुंची तब देखा कि उसका लड़का जितेंद्र और नंदू घायल अवस्था में पड़े थे। नंदू को बहुत चोटें आयी थी। उसके लड़के ने बताया था कि बस वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसे बाद में यह जानकारी हुई थी कि बस के ड्राइवर अशोक ने बस को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी।

18 प्रमिलाबाई (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि एक्सीडेंट वाली बस को कौन चला रहा था किसी ने नहीं बताया और आज तक उसे बस चालक का नाम नहीं पता है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची थी तो उसके लड़के जितेंद्र और नंदू के अलावा कोई नहीं था। गीता पंद्राल (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी। उसने एक्सीडेंट होते नहीं देखा था। वह नहीं बता सकती कि किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि वह अभियुक्त अशोक का नाम लोगों के बताये अनुसार बता रही है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। साथ ही साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण

की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

19 अभिलेख पर मात्र आहत जितेंद्र सिंह (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत सर्वोत्तम साक्षी होता है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः आहत साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं।

20 जितेंद्र सिंह (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 10 बजे की है। घटना के समय वह मोटर सायकिल से अपने दोस्त नंदू के साथ बैतूल से वापस बोड़खी आ रहा था। मोटर सायकिल उसका दोस्त मृतक नंदू चला रहा था। जैसे ही वह पंखा आमला रोड कमानी पुलिया के पास पहुंचा तभी अभियुक्त अशोक बहुत तेजी और लापरवाही से बस नंबर 0170 को चलाकर मोटर सायकिल में टक्कर मार दी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि अभियुक्त अशोक को बस चलाते उसने देख लिया था। अभियुक्त की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। ईलाज के दौरान नंदू की मृत्यु हो गयी थी। अभियुक्त अशोक कोष्ठी बस चलाता है इसलिए वह उसे अच्छे से पहचानता है। अभियुक्त की गलती से ही एक्सीडेंट हुआ था।

21 जितेंद्र सिंह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त अशोक बोड़खी आते जाते रहता है। घटना के समय वह मोटर सायकिल में पीछे बैठा था। बस के सामने हेलोजन लाईट रात में बहुत तेज रोशनी देते हैं। इस सुझाव को सही बताया है कि रात्रि 10 बजे काफी अंधेरा था। गाड़ी की लाईट के अलावा घटना स्थल पर कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। पंखा से आमला रोड पर भी काफी उबड़ खाबड़ गड्ढे थे। इस सुझाव को भी सही बताया है कि बड़े वाहन की फोकस लाईट बहुत तेज रहती है तो सामने से मोटर सायकिल चालक को कुछ दिखायी नहीं देता है। इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना स्थल से मोटर सायकिल अपनी साईड से निकालने में गड्ढे में चली गयी थी जिससे मोटर सायकिल अनबैलेंस हो गयी और वे लोग गिर गये थे। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि बस की लाईट के कारण वह बस चालक को नहीं देख पाया था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि चालक का नाम दो चार दिन बाद पता चला था। सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे यह नहीं पता कि बस चालक के कॅबिन का लाईट चालू था या बंद था। स्वतः में साक्षी ने कहा कि उसने मोटर सायकिल की लाईट की रोशनी से ड्रायवर को देखा था। इस प्रकार साक्षी जितेंद्र सिंह (अ.सा.-1) इस तथ्य पर पूर्णतः स्थिर है कि घटना दिनांक को बस अभियुक्त अशोक ही चला रहा था। साथ ही साक्षी इस तथ्य पर भी पूर्णतः अखंडित रहा है कि अभियुक्त अशोक ने बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी।

22 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क भी रहा है कि** घटना रात्रि की थी एवं घटना स्थल अत्यन्त उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। ऐसी स्थिति में कोई भी वाहन तेज नहीं चला सकता। फलस्वरूप अभियुक्त ने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया यह अभियोजन प्रमाणित नहीं कर पाया है। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि घटना रात्रि की है एवं स्वयं फरियादी जितेंद्रसिंह (अ.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना रोड काफी उबड़ खाबड़ था। ऐसी स्थिति में वाहन चालक के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि वह वाहन को अत्यन्त सावधानी से चलाये ताकि सामने से आना वाला वाहन आसानी से पार हो जाये। स्पष्टतः अभियुक्त ने वाहन बस को चलाते समय इतनी सतर्कता नहीं बरती जितनी की एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। साथ ही यदि वाहन चालक अपने वाहन में नियंत्रण न रख पाये तो यह उसकी उपेक्षा को दर्शित करता है।

23 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को बस क्र. एमपी-48-पी-0170 चला रहा था तथा अपनी बस से मोटर सायकिल में टक्कर मार दी जिससे मोटर सायकिल चला रहे व्यक्ति नंदू उर्फ नंदकिशोर की मृत्यु हो गयी एवं पीछे बैठे आहत जितेंद्र सिंह के दाहिने पैर में दो-तीन जगह फेक्चर आकर घोर उपहति कारित हुई। ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कि अभियुक्त उपेक्षा से वाहन को चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मारी जिससे नंदू उर्फ नंदकिशोर की मृत्यु हो गयी थी एवं आहत जितेंद्रसिंह को घोर उपहति कारित हुई थी, अन्य कुछ भी उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Mohammad Aynaddin Vs. State of A.P. 2001(1) MPWN 66(SC)** अवलोकनीय है।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

24 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्र. एमपी-48-पी-0170 का चालक होते हुए उक्त बस को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित करते हुए नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर नंदू उर्फ नंदकिशोर की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती तथा नंदू उर्फ नंदकिशोर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर मोटर सायकिल के पीछे बैठे जितेंद्र को गंभीर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त अशोक को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304(ए), 338 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

25 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

26 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। साथ ही अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त ज़ायवरी करता है। आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर है। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को घोर उपहति एवं एक व्यक्ति की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

27 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा बस वाहन को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित उक्त वाहन से मृतक की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर जितेंद्र सिंह को घोर उपहति कारित की जाना तथा मृतक नंदू उर्फ नंदकिशोर की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

28 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304(ए), 338 भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध धारा 71 भा.दं.सं. के प्रावधानों के अर्थों में धारा 338 एवं धारा 304-ए के अपराध में समाहित है। अतः अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडादिष्ट न करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 300/- रु. जुर्माना तथा धारा 338 के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 300/- रुपये से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

29 मुख्य कारावास की उपर्युक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे।



30 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

31 प्रकरण में जप्तशुदा मिनी बस क्र. एमपी-48-पी-0170 प्रहलाद पिता देवा कोष्ठी निवासी बस स्टेंड आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

32 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)